भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5274
24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कर्नाटक में एमएसपी

5274. श्री सागर ईश्वर खंड्रेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक में, विशेषकर बीदर जिले में, बंगाल ग्राम (चना) का बाजार मूल्य रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए एमएसपी से कम है, जिसके कारण किसानों को मजबूरन कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ रही है;

(ख) क्या राज्य से नेफेड/एनसीसीएफ के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खरीद के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) क्या बीदर तथा अन्य जिलों में एमएसपी खरीद केन्द्र चालू किये जा रहे हैं तथा इसकी समय-सीमा क्या है; और

(घ) कर्नाटक में चना उत्पादक किसानों को एमएसपी का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार, जब भी बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाता है तब राज्य सरकार के अनुरोध पर उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाले दलहन, तिलहन और कोपरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिए पीएम-आशा के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) कार्यान्वित करती है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकें। कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर, रबी 2026 सीजन के दौरान पीएसएस के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) नामतः नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से कर्नाटक के बीदर जिले सहित राज्य में 1,01,340 एमटी बंगाल ग्राम (चना) की खरीद को मंजूरी दी गई है। दिनांक 18.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, राज्य में पीएसएस के तहत कुल 26,261 एमटी बंगाल ग्राम (चना) की खरीद की जा चुकी है।

(ग): कर्नाटक में रबी मार्केटिंग सीजन 2026 के दौरान बंगाल ग्राम (चना) की खरीद हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा 451 खरीद केंद्र खोले गए हैं, जिनमें बीदर जिले में खोले गए 123 खरीद केंद्र शामिल हैं।

(घ): चना किसानों के लिए प्रभावी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा उत्पादन, विक्रय योग्य सरप्लस, किसानों की सुविधा और भंडारण एवं परिवहन आदि जैसी अन्य लॉजिस्टिक्स/इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्र खोले जाते हैं। किसानों की सुविधा के लिए मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में अस्थायी खरीद केंद्र भी खोले गए हैं।

इसके अलावा राज्य सरकार, केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य एजेंसियों द्वारा उचित औसत गुणवत्ता मानक, खरीद की तिथि और खरीद केंद्र के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाता है ताकि किसान अपनी उपज खरीद केंद्रों में लाकर बेच सकें। एमएसपी का पूरा भुगतान पंजीकृत किसानों के आधार नंबर के साथ सत्यापित बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर- डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है।
